राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 4(2)वाहन पूल/सान्याअवि/17/5334 जयपुर, दिनांक 09/2/17

निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु इस कार्यालय के उपयोग के लिए किराये पर वाहन लेने के लिए दर संविदा/सामग्री क्रय दर अनुबंध किये जाने हेतु निम्नानुसार निविदाएं प्राधिकृत डीलर्स/फर्म्स/सेवा–प्रदाताओं से आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये	निविदा फार्म की राशि रूपये	अमानत राशि रूपये	अंतिम निर्धारित तिथि
1	3 राज्य स्तरीय वाहन एवं 3 स्थानीय स्तरीय वाहन(कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर)	17,01,000/–	200/–	34000/–	27.02.2017

निविदा फार्म प्रकाशन की तिथि से दिनांक 27.02.17 को 12.00 बजे तक कार्य दिवसों में कार्यालय समय में रोकडिया,मुख्यालय/विभागीय साईट से प्राप्त किये जा सकते हैं।निविदाएं अन्तिम निर्धारित तिथि 27.02.17 को दोपहर 2.00 बजे तक अमानत राशि(बी.सी./डी.डी.)के साथ जमा करवाई जा सकती है। जिन्हें इसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 4.00 बजे खोला जायेगा। विस्तृत जानकारी व शर्ते कार्यालय समय व कार्य दिवसों में कैशियर के पास देखी जा सकती है।

अतिरिक्त निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)

सचिता बिश्नोई
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

6 वाहन किराये पर लेने हेतु दर संविदा वर्ष 2017–18

निविदा प्रपत्र

1 निविदा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है तो उप निदेशक,प्रशासन जयपुर के कक्ष 202 में रखे बाक्स में सील बन्द लिफाफे में डाला जावेगा।

2 यदि निविदा डाक से भेजी जाये तो दिनांक 27.02.17 को 2.30 बजे तक उप निदेशक,प्रशासन/स्टोर के कक्ष 202 या 02 में . पहुँच जानी चाहिये इसके पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

अतिरिक्त निदेशक(मार्केटिंग एवं प्रशासन)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान,जयपुर

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

ओर से :–

अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

राजस्थान,जयपुर

को :–

मैसर्स.....

.....

प्रिय

आपके आवेदन पत्र दिनांक..... और निविदा प्रपत्र की कीमत रूपये 200/– जरिये रसीद जमा कर निविदा दस्तावेज की मांग की है। अतः **तीन राज्य स्तरीय किराया वाहन एवं तीन स्थानीय स्तरीय किराया वाहन** की दर संविदा से संबंधित निविदा दस्तावेज की एक प्रति जारी की जा रही है। मूल निविदा प्रपत्र भरकर उप निदेशक,प्रशासन/स्टोर कक्ष संख्या 202 या 02 में दिनांक 27.02.2017 समय 2.30 बजे प्राप्त हो जानी चाहिये। प्राप्त निविदाएं उसी दिन 4.00 बजे खोली जावेगी। कृपया निविदा एवं संविदा की शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ लें और निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर शर्ते स्वीकार करने के टोकन के रूप में हस्ताक्षर करें और अपनी दरें निर्धारित प्रारूप में ही भरकर उस हस्ताक्षर करें।

सावित्री बिश्नोई
अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान,जयपुर

अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

ओर से :–

मैसर्स .....

.....

.....

को :–

अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

राजस्थान,जयपुर

संदर्भः– आपकी निविदा सूचना संख्या दिनांक

विषयान्तर्गत संदर्भित निविदा के कम में निवेदन है किः–

1 यह कि मेरे/हमारे द्वारा रूपये 200/– निविदा की राशि नकद रसीद संख्या दिनांक द्वारा जमा करवा दी गई है,जो कि अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर द्वारा जारी की गई है।

2 यह है कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा संबंधी दस्तावेजो के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा शर्ते स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। घोषणा पत्र संलग्न **परिशिष्ठ 'अ'**

3 यह है कि मेरे/हमारे द्वारा वाहन किराये पर लेने हेतु दर संविदा हेतु निविदा दस्तावेज के **परिशिष्ठ 'स'** शिड्यूल ऑफ रेटस निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर दी है।

4 यह है कि मेरे/हमारे द्वारा कार्य आदेश मिलने के 7 दिवस में आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जावेगी।

5 यह है कि मेरे/हमारे द्वारा धरोहर(बयाना)राशि के रूप में डी.डी./बी.सी. संख्या दिनांक राशि रूपये 34000/–(अक्षरे चौतीस हजार रूपये) मात्र लिफाफे में डाल दिये हैं।

संचिता बिश्नोई
अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन)
एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

विषयः– 6 वाहन किराये पर लेने हेतु संविदा

1 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संस्था का नाम तथा डाक का पूरा पता

.....

.....

2 संदर्भ निविदा विज्ञप्ति कमांक.....दिनांक .....निविदा शुल्क की राशि रूपये 200/–जरिये रसीद संख्या दिनांक..... जमा कराई गई है।

3 निविदा सूचना संख्या..... दिनांक .....जो कि, अतिरिक्त निदेशक,सर्तकता एवं प्रशासन,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर के द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्तो की पालना करने के लिये हम सहमत है तथा उक्त निविदा दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, का पालन करने के लिये हम सहमत है।

4 कार्य आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि में किराये पर वाहन उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

5 परिशिष्ठ 'स' में अंकित दर आदेश देने की दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगी,जिसे आपसी सहमति से 6 माह की अवधि तक बढाया जा सकेगा।

6 बयान राशि (अर्नेस्ट मनी) रूपये 34000/–(अक्षरे चौतीस हजार रूपये) के पक्ष में डीडी/बीसी अतिरिक्त निदेशक,सर्तकता एवं प्रशासन,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर के पक्ष में बनाकर संलग्न किया गया है।

संचिता बिश्नोई
अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

परिशिष्ठ 'अ'

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

घोषणा–पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्ते नहीं लगाई हैं अगर कही अंकित कर दी गई है तो वह वापसी ली हुई मानी जाती है/मानी जावेगी।

यह है कि यदि कोई सूचना गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृति कर दी गई तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर सकेगा।

संविता बिश्नोई
अतिरिक्त निदेशक (सार्वजनिक एवं प्रशासन)
एवं पदेन संयुक्त सचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

प्रतिबंध एवं शर्तें

1 वाहन किराये पर लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वित्त(बजट)विभाग के परिपत्र प.9(1)वित्त.1(1)बजट/2015 दिनांक 15.7.2015 के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में निर्धारित प्रकिया एवं शर्तो के अनुसार **तीन राज्य स्तरीय रू.27250/–(2500 कि.मी.प्रतिमाह की अधिकतम सीमा) एवं तीन स्थानीय स्तरीय वाहन रू.20000/–(1500 कि.मी. प्रतिमाह की अधिकतम सीमा)** से अधिक वाहन चलने पर रू.07.25 प्रति कि.मी. की दर से निर्धारित सिलिंग में से भुगतान किया जावेगा।

2 वाहन का सप्ताह में एक बार रविवार को अवकाश रखा जावेगा, विभाग को आवश्यकता होने पर रविवार को भी वाहन लाना होगा।

3 वाहन को चालक सहित उपलब्ध करवाना होगा तथा पेट्रोल/डीजल/ ऑयल/मरम्मत संबंधी समस्त कार्य वाहन मालिक को वहन करना होगा। वाहन दुर्घटना होने एवं अन्य कोई भी नुकसान आदि भी वाहन मालिक को वहन करना होगा।

4 फर्म के पास वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी वैद्य Tin No. प्रमाण पत्र होना चाहिये जिसकी एक प्रति संलग्न की जावेगी।

5 फर्म को धरोहर राशि रूपये 34000/–डीडी/बीसी द्वारा निविदा पत्र के साथ जमा कराना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा। कार्य का ठेका अन्य किसी व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकेगा।

6 फर्म का जमानत के रूप में दो प्रतिशत अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन)सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर के नाम से डीडी/बीसी द्वारा जमा करानी होगी तथा धरोहर राशि अमानत राशि में समायोजित कर ली जायेगी। यह राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी। यदि ठेके की शर्तो का उल्लंघन पाया गया तो विभाग को नियमानुसार आर्थिक दण्ड देने का अधिकार होगा। फर्म द्वारा आर्थिक दण्ड जमा नहीं कराने की स्थिति मे दण्ड की राशि जमानत राशि में से वसूल की जावेगी।

7 ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद में निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार को मान्य होगा।

8 ठेके की शर्तो का उल्लंघन होने पर विभाग को संवंदक की जोखिम व लागत पर अन्य फर्म से कार्य कराये जाने का अधिकार होगा और संविदा निरस्त करने का भी अधिकार होगा।

संविता बिश्नोई
(निदेशक, सर्तकता एवं प्रशासन)
अतिरिक्त निदेशक
सा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर

9 किसी प्रकार का विवाद होने पर फर्म/किसी भी पक्ष(सरकार अथवा संविदाकार)द्वारा कानूनी कार्यवाही किये जाने की आवश्यका पडे तो न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

10 ठेका स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाताओं को 10 दिवस में 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार वित्त विभाग द्वारा जारी शर्ते एवं अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। जो कि वित्त विभाग द्वारा दी गई शर्तो के अनुरूप होगा।

11 न्यूनतम दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

12 मोहरबन्द निविदा प्रपत्र सहित दिनांक 27.02.2017 को दोपहर 02.30 बजे तक पहुँच जानी चाहिए एवं प्राप्त निविदाएं उसी दिन 04.00 बजे खोली जावेगी।

13 निविदादाता द्वारा जोडी गई अन्य शर्तो पर विचार नहीं किया जावेगा।

14 वाहन की आपूर्ति विभाग द्वारा विधिवत रूप से आदेश देने पर 7 दिवस में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवानी होगी।

15 वाहन अच्छी स्थिति में उपलब्ध करवाना होगा जो कि 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।

16 फर्म की सेवायें संतोषजनक होने तथा विभाग की आवश्यकतानुसार आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि छः माह तक बढाई जा सकती है।

17 परिमापित नुकसानी–निर्धारित अवधि में वाहन की आपूर्ति नहीं करने पर विलम्ब के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के एस.आर.16 के नियम 35 के अनुसार परिसमापित नुकसानी(L.D.) वसूली जायेगी:–

क–निर्धारित अवधि की एक चौथाई तक विलम्ब के लिये **(2.50प्रतिशत)**

ख–एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु निर्धारित अवधि की आधी तक विलम्ब के लिये **(5.00प्रतिशत)**

ग–आधी अवधि से अधिक किन्तु निर्धारित अवधि की तीन चौथाई अवधि का विलम्ब के लिये **(7.50प्रतिशत)**

घ–तीन चौथाई अवधि से अधिक विलम्ब के लिये **(10.00प्रतिशत)**

18 परिवहन विभाग से जारी वाहन का विधि मान्य पंजीकरण व फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

सोनिया बिश्नोई
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)
एवं पदेन उपसचिव
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर

परिशिष्ठ 'स'

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

दरों की सूची (Schedule of RATES)

क.सं.	वाहन	प्रतिमाह दर मय (डीजल,आयल एवं वाहन चालक सहित)
1	राज्य स्तरीय वाहन	
2	स्थानीय स्तरीय वाहन	

नोट :–दरें समस्त कर–प्रभारों सहित दी जावे। उक्त दरों के अतिरिक्त अन्य कोई कर प्रभार विभाग द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।

संचिता बिश्नोई
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान, जयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता